[70]

संख्या 11478 का०

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष । दिनांक 5 जुलाई, 1979

विषय :- **सेवाकाल में सरकारी सेवकों के असामयिक मृत्यु के चलते उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य सरकार के अधीन वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता ।**

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के ज्ञाप सं० 3/आर-304/73-का०-12754 दिनांक 12 जुलाई, 1977 जिसके द्वारा सेवाकाल में सरकारी सेवकों के असामयिक मृत्यु के चलते उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को राज्य सरकार के अधीन वर्ग 3 एवं वर्ग-4 के पदों पर नियुक्ति में प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किया गया है, की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि ऐसी नियुक्तियों में सामान्य जाति के व्यक्ति को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करनी हो और सामान्य कोटा की रिक्तियाँ नहीं हो तो वैसी दशा में आरक्षित कोटा में रिक्ति उपलब्ध रहने पर रिक्ति को कार्मिक विभाग की सहमति से अनारक्षित कर सामान्य जाति की नियुक्ति की जा सकती है । किन्तु यह ध्यान में रखना होगा कि आरक्षित कोटा के निर्धारित रिक्तियों की कुल संख्या में कमी नहीं होने पाये । जैसे ही सामान्य कोटा में रिक्तियाँ उपलब्ध हो जायँ उस रिक्ति को आरक्षित करते हुए आरक्षित जाति के उम्मीदवारों से भरा जाय ।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

---

[71]

सं० 3/आर 1-302/75-6148

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

9 अप्रील 1979

विषय :- **चतुर्थवर्गीय पदों के लिये नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया ।**

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 815, दिनांक 15 जनवरी 1979 को कंडिका-1 (ii) में आंशिक संशोधन करते हुये राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि गृह (कारा) विभाग में चतुर्थवर्गीय वर्दीधारी पदों पर नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों के चयन हेतु निम्न प्रकार चयन समिति गठित की जाय:-

गृह (कारा) विभाग

(1) सम्बन्धित केन्द्रीय कारा के अधीक्षक – अध्यक्ष ।

(2) एक केन्द्रीय कारा के अधीन पदस्थापित मंडल कारा अधीक्षकों में से वरीयता अधीक्षक-सदस्य ।

(3) जिला कल्याण पदाधिकारी – सदस्य ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजकीय गजट में इसे प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, पटना एवं राँची/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
केशव मोहन ठाकुर,
सरकार के विशेष सचिव ।

□ □ □